FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0093 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/04/2025 13:32 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 16/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 23/01/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:44 बजे **Time To (समय तक):** 19:48 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/04/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/04/2025 13:32:45 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 380 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALAY PANCHYAT SAMITI DUNGLA,, JILA CHITTORGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): PUSHKAR MENARIYA

(b) Father's Name (पिता का नाम): UNKAR LAL MENARIYA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1999 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM JETPURA, MANGALWAD, MANGALWAD, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM JETPURA, MANGALWAD, MANGALWAD, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MADAN LAL MEENA		पिता:MANGI LAL MEENA	1. MUKAM POST VANA,VLLBHNAGAR,UDAIPUR, RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ। विषयः- रिश्वतखोर के विरूद्ध कार्यवाही करने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 16.01.2025 को मै व मेरी दादीजी श्रीमति लक्ष्मी मेनारिया डुंगला पंचायत समिति कार्यालय में दादीजी की बंद पड़ी वृद्धावस्था पेंशन जो कि समय पर ई-केवाईसी (सत्यापन) नहीं हो पाने के कारण पिछले 12-13 महिनो से बंद पड़ी थी। उसको सत्यापन कर चालु करवाने के उद्देश्य से गये थे। वहां पर डुंगला पंचायत समिति कार्यालय में पेंशन सत्यापन e-KYC के लिये वहां कार्यरत कर्मचारी मदन मीणा LDC को कहाँ तो उसने पेंशन सत्यापन करने के नाम पर मेरे से 4000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। जब मुझे यह गलत लगा तो मैं उस समय कार्यालय से बाहर आ गया और थोड़ी देर बाद मैंने मेरे मोबाईल का कैमरा चालु करके शर्ट की सामने वाली जेब में रख दिया और दोबारा वापस कार्यालय में मदन मीणा के पास गया तथा उसे कहा की पेंशन सत्यापन 2000 रूपये में कर दो तो उसने मना कर दिया तथा कहा की नहीं होगा तो फिर मेरे से उसने रिश्वत के रूप में 3000 रूपये लिये तथा फिर दादीजी के पेंशन के कागजो का सत्यापन किया। मैंने जो मदन मीणा के द्वारा रिश्वत लेते हुये का जो विडियो बनाया वो मेरे मोबाईल में सेव है जो मैं आपको प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर रहा हूं। मदन मीणा बाबू द्वारा मेरे रिश्वत लेने के संबंध में मेरे द्वारा इसकी सूचना ACB की हेल्पलाइन पर दिनांक 23-1-25 को दे दी थी। उसी दिनांक को मेरी आपसे भी वार्ता हुई थी। यह घटना दिन के समय की है। मेरी मदन मीणा बाबु से कोई रंजिश नहीं है तथा न ही मदन मीणा मेरे से कोई उधार के बाकियात के कोई पैसे मांगता है। श्रीमान से निवदेन है कि उक्त कर्मचारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये। दिनांक 30.01.2025 प्रार्थी एसडी/पुष्कर पुष्कर मेनारिया पुत्र श्री उंकार लाल मेनारिया गांव जेतपुरा थाना-मंगलवाड जिला चित्तौडगढ मोबाईलः- [redacted]कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ महोदय, मामला इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 23.01.2025 को परिवादी श्री पुष्कर मेनारिया पुत्र श्री उंकार लाल मेनारिया निवासी ग्राम जेतपुरा पुलिस थाना मंगलवाड़ तहसील मंगलवाड़ जिला चित्तौडगढ द्वारा ब्यूरो मुख्यालय जयपुर के टोल-फ्री नंबर 1064 पर कॉल कर अपने मोबाईल से ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग कर रिश्वत राशि देने संबंधी एक शिकायत की गई है जिस पर ब्यूरो मुख्यालय जयपुर द्वारा परिवादी श्री पुष्कर मेनारिया को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के मोबाईल नम्बर देकर अग्रिम कार्यवाही करवाने हेतु सम्पर्क करने के निर्देश दिए गए थे जिस पर परिवादी श्री पुष्कर मेनारिया द्वारा दिनांक 23.01.2025 को ही समय करीब 7.48 पी.एम. पर अपने मोबाइल नंबर [redacted] से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाइल नंबर [redacted] पर कॉल कर बताया कि मैंने आपके विभाग के मुख्यालय जयपुर के टोल-फ्री नंबर 1064 पर कॉल कर एक शिकायत की है जिस पर उन्होने अग्रिम कार्यवाही करवाने हेतु आपके मोबाइल नंबर दिये है जिस पर मैंने आपको कॉल किया है। इस पर परिवादी से आवश्यक पूछताछ की गई तो उसने बताया कि "मेरी दादीजी श्रीमति लक्ष्मी मेनारिया की वृद्धावस्था पेंशन बंद पडी है जिस चालु करवाने के लिए पंचायत समिति डूंगला के कार्यालय में गया था जहाँ पर कार्यरत कर्मचारी मदन मीणा द्वारा मेरी दादीजी की पेंशन का सत्यापन (ई-केवाईसी) करने के लिए 4000 रूपये रिश्वत की मांग की थी। जिस पर मैंने उक्त कार्यालय से बाहर निकलकर अपने मोबाईल का कैमरा चालु कर मोबाइल को अपनी शर्ट की जेब में रखकर पुनः उक्त कर्मचारी मदन मीणा के पास गया तथा उनको कहा कि पेंशन का सत्यापन 2000 रूपये में कर दो तो उन्होनों मना कर दिया और कहा कि नहीं होगा तथा फिर मेरे से 3000 रूपये की रिश्वत लेकर मदन मीणा ने मेरी दादीजी के पेंशन के कागजो का सत्यापन किया। उक्त रिश्वत राशि के लेनदेन का मैने अपने मोबाइल मे विडियो बनाकर सेव कर लिया है।" इस प्रकार मामला रिश्वत राशि लेनदेन से संबंधित होने से परिवादी को अग्रिम कार्यवाही करवाने हेतु चौकी चित्तौडगढ पर उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र मय मोबाइल के प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी ने कहा कि मै अग्रिम कार्यवाही कराने के लिए अपना मोबाईल व प्रार्थना-पत्र लेकर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊगा। तत्पश्चात् दिनांक 30.01.2025 को समय करीब 2.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री पुष्कर मेनारिया ने कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर एक स्वयं का हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र व अपना मूल मोबाइल विवो कंपनी मॉडल Y20A 2021 प्रस्तुत किया है। परिवादी से मजीद दरियाफ्त करने पर परिवादी ने दिनांक 23.01.2025 को मोबाइल पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताई गई बात की पुनः ताईद की तथा आज प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यो को सही होना बताया। इसके बाद परिवादी श्री पुष्कर मेनारिया को पूछा कि वह कार्यवाही कराने के लिये इतने दिनों बाद कैसे आया तो उसने बताया कि वह पारिवारिक कारणो

से अब तक उपस्थित नहीं हो सका। इसके बाद परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों का प्रार्थना पत्र में अंकित होना पाया गया। प्रार्थना पत्र को शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत मोबाईल में उसके द्वारा बनाये गये विडियो को परिवादी के बताये अनुसार उसमें मौजूद ऑडियो-विडियो फाईल को चलाकर देखा गया तो आरोपी श्री मदन मीणा द्वारा परिवादी श्री पुष्कर मेनारिया से रिश्वत राशि 3000 रूपये मांगना व ग्रहण करना पाया गया है। उक्त विडियो में वार्ता के दौरान एक अन्य महिला भी उपस्थित है जिससे भी आरोपी श्री मदन मीणा द्वारा रिश्वत की मांग करने के तथ्य उजागर हुए है। उक्त मामला आरोपी मदन मीणा द्वारा परिवादी के जायज कार्य के बदले में 3000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने से संबंधित है। परिवादी द्वारा आरोपी श्री मदन लाल मीणा को रिश्वत राशि दिए जाने के सात दिन के भीतर एसीबी मुख्यालय को सूचना दिए जाने की भी पुष्टि होती है। उक्त कार्यवाही में दो स्वतन्त्र गवाह की आवश्कता होने से गवाहानो की तलबी की जायेगी। परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय करीब 02.15 पी.एम. पर विकास अधिकारी पंचायत समिति चित्तौडगढ के नाम तहरीर जारी कर दो स्वत्रंत गवाह भिजवाने हेतु तहरीर श्री सुनिल कुमार कानि0 264 को देकर रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 02.30 पी.एम. पर श्री सुनिल कुमार कानि0 264 दो स्वतन्त्र गवाहान को लेकर उपस्थित आया है। दोनो गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय प्राप्त किया जिस पर एक गवाह ने अपना नाम श्री नरेन्द्र सिहं पुत्र नोरत सिहं जाति राजपूत उम्र 46 वर्ष निवासी डांगेश्वर कॉलोनी मसुदा जिला ब्यावर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय पंचायत समिति चित्तौडगढ होना बताया व दुसरे ने अपना नाम श्री कन्हैया लाल भील पुत्र श्री कालुलाल भील जाति भील उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम हांसला तहसील बस्सी जिला चित्तौडगढ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय पंचायत समिति चित्तौडगढ होना बताया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही में उपस्थित रहने की सहमति प्रदान की। कार्यालय मे उपस्थित परिवादी श्री पुष्कर मेनारिया का दोनो स्वतन्त्र गवाहान से आपस में परिचय कराया गया तथा दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को पढकर सुनाया गया व दिखाया गया। प्रार्थना-पत्र पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गए। परिवादी द्वारा प्रस्तुत मोबाइल में सेव की गई रिश्वत राशि देने से संबंधित ऑडियो-विडियो फाईल को चलाकर दोनो गवाहान को सुनाया व दिखाया गया। उक्त ऑडियो-विडियो फाईल में मौजूद व्यक्ति जो परिवादी से रिश्वत के संबंध में वार्ता कर रहा है तथा 3000 रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण की गई है। जिसके बारे में परिवादी ने बताया कि यह पंचायत समिति डुंगला में कार्यरत कर्मचारी श्री मदन लाल मीणा है जिन्होने मेरे से दिनांक 16.01.2025 को 3000 रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण की है। दोनो स्वतन्त्र गवाह द्वारा भी परिवादी से पूछताछ की गई तथा परिवादी के मोबाइल में मौजूद रिश्वत राशि लेने से संबंधित ऑडियो-विडियो फाईल को देखने व सुनने के पश्चात उसमें मौजूद व्यक्ति श्री मदन लाल मीणा द्वारा परिवादी श्री पुष्कर मेनारिया से 3000 रूपये की रिश्वत राशि मांगने व ग्रहण करने की पुष्टि की गई। उक्त ऑडियो-विडियो फाईल की पृथक सें ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी तथा मोबाईल की जरिये फर्द जप्ती की जाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जायेगा। इसके बाद समय करीब 03.15 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में परिवादी द्वारा पेश किया गया विवो कंपनी मॉडल Y20A 2021 मोबाईल जिसमें दिनांक 16.01.2025 समय 0244 पीएम का एक ऑडिया-विडियो बना हुआ है जिसमें परिवादी श्री पुष्कर मेनारिया व आरोपी श्री मदन लाल मीणा से वार्ता व रिश्वत लेन-देन का ऑडिया-विडियो है। जिसका फाईल नेम video_202501116_143630 तथा सेव पाथ Divice storage/dcim/camera /video_ 20250116_ 143630mp4 है। वार्ता पंचायत समिति परिसर में ही एक कक्ष में हो रही है जिसके बाहर कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक इकाई राजीविका डुंगला लिखा हुआ है। इस दौरान वहां पर आरोपी द्वारा एक अन्य महिला से भी रिश्वत की मांग की जा रही है। उक्त मोबाईल के स्पीकर को ऑन करके उक्त ऑडियो-विडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 132 के द्वारा तैयार करवाई जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 04.07 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में परिवादी द्वारा दिनांक 30.01.2025 को पेश विवो Y20A 2021 मोबाईल जिसमें दिनांक 16.01.2025 समय 02.44 पीएम का एक ऑडिया-विडियो बना हुआ है जिसमें परिवादी श्री पुष्कर मेनारिया आरोपी श्री मदन लाल मीणा कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति डुंगला से वार्ता व रिश्वत लेन-देन का विडियो बना हुआ है। उक्त मोबाईल को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त विडियो को कार्यालय के कम्प्युटर में लेकर कम्प्युटर से दो पेन ड्राईव केडीएम 8 जीबी बरंग ग्रे में कॉपी किया गया। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये खुला रखा गया तथा एक पेन ड्राईव को कपडे की थैली में रखकर सीलचिट कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द जब्ती पेन ड्राईव पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 04.50 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में परिवादी द्वारा दिनांक 30.01.2025 को पेश विवो Y20A 2021 मोबाईल जो दो सिम स्लॉट का है जिसमे कोई सिम नहीं लगी है एक सिम स्लॉट के आईएमईआई नम्बर [redacted] तथा दुसरे सिम स्लॉट के आईएमईआई नम्बर [redacted] है। जिसमें दिनांक 16.01.2025 समय 02.44 पीएम का एक ऑडिया-विडियो बना हुआ है जिसमें परिवादी श्री पुष्कर मेनारिया आरोपी श्री मदन लाल मीणा कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति डुंगला से वार्ता व रिश्वत लेन-देन का विडियो जिसका फाईल नेम video_202501116_143630 तथा सेव पाथ

Divice storage/dcim/camera /video_20250116_ 143630mp4 है। वार्ता पंचायत समिति परिसर में ही एक कक्ष में हो रही है इस दौरान वहां पर आरोपी द्वारा एक अन्य महिला से भी रिश्वत की मांग की जा रही है। उक्त मोबाईल को वजह सबुत होने के एक सफेद कपडे की थेली में सीलचीट कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 05.10 पी.एम. पर परिवादी श्री पुष्कर मेनारिया से धारा 63 (4)(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया तथा कार्यवाही पूर्ण कर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को रूखसत दी गई एवं जप्तशुदा आर्टिकल्स मालखाना ईन्चार्ज श्री जितेन्द्र सिंह हैडकानि0 नं0 132 को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। प्रकरण की पत्रावली भी कार्यालय में सुरक्षित रखी गई। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अब तक की गई कार्यवाही से आरोपी श्री मदन लाल मीणा हाल कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिति डूंगला जिला चित्तोड़गढ़ द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री पुष्कर मेनारिया से उसकी दादीजी श्रीमति लक्ष्मी मेनारिया की वृद्धावस्था पेंशन को चालू करवाने के लिये पेंशन का सत्यापन ¼E-KYC½ करने हेतु परिवादी श्री पुष्कर मेनारिया से 3000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर ग्रहण करना पाया गया है। जिसके संबंध में परिवादी द्वारा अपने मोबाईल से बनाये गये ऑडियो-विडियो रिकार्डिंग में साक्ष्य मौजूद होने से आरोपी श्री मदन लाल मीणा हाल कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिति डूंगला जिला चित्तोड़गढ़ का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री मदन लाल मीणा पुत्र श्री मांगी लाल मीणा उम्र 39 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट वाना तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिति डूंगला जिला चित्तोड़गढ़ के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है। (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मदन लाल मीणा पुत्र श्री मांगी लाल मीणा उम्र 39 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट वाना तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति डूंगला जिला चित्तोड़गढ़ के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरपत सिंह, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 253 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान)पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 537-40 दिनांक 17-04-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौडगढ। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौडगढ ।4 -अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARPAT SINGH CHARAN **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/04/2025 13:[illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	24/03/1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐं)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)

HP LaserJet Pro M202dw

HP Web Services

Enable HP Web Services

NOTE: HP Web Services requires the printer to be connected to a network.

1. Once the printer is connected to a network, enter the printer's network IP address into a Web browser. To find the printer's IP address, refer to the printer's user guide, or reprint this page after the printer is connected to the network.

2. On the Web page that appears, click on the HP Web Services tab.

3. Review and accept the terms of use, and then click the Enable button.

HP ePrint

Print from Anywhere

HP's free ePrint service provides an easy way to print from e-mail, anywhere and anytime. Simply attach a file to an e-mail, and send it to this printer's e-mail address. The attachment will print automatically on this printer. Supported attachment file types include .pdf, .jpg, .tif, and Microsoft Office(R) documents.

NOTE: Attachments may print differently than they appear in the software program which created them, depending on the original fonts and layout options used.

Your Printer is Protected

To help prevent unauthorized e-mail, HP assigns a random e-mail address to your printer, never publicizes this address, and by default does not respond to any sender. ePrint also provides industry-standard spam filtering and transforms e-mail and attachments to a print-only format to reduce the threat of a virus or other harmful content.

NOTE: The ePrint service does not filter e-mails based on content, so it cannot prevent objectionable or copyrighted material from being printed.

HP Connected

Use the HP Connected Web Site

Use HP Connected Web site to set up increased security for ePrint, specify the e-mail addresses that are allowed to send e-mail to your printer, get Print Apps (if available for your product), and access other free services.

- Go to the HP Connected Web site for more information and specific terms and conditions: www.hpePrintCenter.com